रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1801] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2013/श्रावण 14, 1935

No. 1801] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2013/SRAVANA 14, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2013

आय-कर

का.आ. 2364(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 115प की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (13वां संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,-

(क) नियम 12ग के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"12ग. धारा 115प की उपधारा (2) के अधीन विवरण.- (1) संदत्त या जमा आय का विवरण, ऐसे मुख्य आय-कर आयुक्त या आय-कर आयुक्त को, जिसकी अधिकारिता के भीतर, यथास्थिति, जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का प्रधान कार्यालय स्थित है, उस पूर्ववर्ती वर्ष के, जिसके दौरान ऐसी आय वितरित की जाती है, पश्चात् वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) संदत्त या जमा आय का विवरण, जो, यथास्थिति, जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा धारा 115प की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना है, प्ररूप सं. 64 में होगा और उसमें उपदर्शित रीति में किसी लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित होगा, अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रोनिक रूप से दिया जाएगा ।

3402 GI/2013

(3) आय-कर महा निदेशक (पद्धति), प्ररूप सं. 64 फाइल करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा और इस प्रकार दिए गए विवरणों के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनः प्राप्ति नीतियों को तैयार और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी भी होगा ।";

(ख) परिशिष्ट II में, प्ररूप सं. 64 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं. 64

[नियम 12ग देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115प के अधीन जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा संदत्त या जमा पूंजी आय के संबंध में दिया जाने वाला विवरण

1. जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि* का नाम
2. रजिस्टर्ड कार्यालय का पता
3. स्थायी लेखा संख्यांक
4. समाप्त होने वाला पूर्व वर्ष
5. जोखिम पूंजी कंपनी के निदेशकों या जोखिम पूंजी निधि* के न्यासियों के नाम और पते

6. जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण की तारीख -

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 के अधीन

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुकल्प विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन

7. उस दशा में जहां जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुकल्प विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है,

(क) क्या जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि ने जोखिम पूंजी उपक्रम के असूचीबद्ध साधारण शेयर या साधारण संबद्ध विनिधानों में अपने विनिधानीय निधियों का दो तिहाई से अन्यून विनिधान किया है हां/नहीं

(ख) क्या जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि ने किसी ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम में कोई विनिधान किया है जिसमें,-

(i) इसका निदेशक या कोई सारभूत शेयरधारक (इसकी साधारण अंश पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक साधारण शेयरों का हिताधिकारी स्वामी होते हुए) ; या

(ii) यथास्थिति, उसका न्यासी या व्यवस्थापक -

या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम के संदत्त साधारण अंश पूंजी के पंद्रह प्रतिशत से अधिक साधारण शेयर रखता है हां/नहीं

(ग) क्या, यथास्थिति, जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि के शेयर या इकाईयां पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है

हां/नहीं

8. जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधानों से, सभी शीर्षों के अधीन, कुल आय (9+11+13+15)

9. जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधानों से, "दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन, कुल आय

10. (9 से 8) का अनुपात

11. जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधानों से, "अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन, कुल आय

12. (11से 8) का अनुपात

13. जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधानों से कुल लाभांश आय

14. (13 से 8) का अनुपात

15. जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधानों से अन्य आय (जैसे ब्याज आदि)

16. (15 से 8) का अनुपात

17. निम्नलिखित रूपविधान में, धारा 115प की उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे जिनके द्वारा आय प्राप्त की गई है या जिनके नाम से जमा की गई है :-

क्रम सं.	नाम	पता (पते)	स्थायी लेखा संख्यांक	कुल संदत्त / जमा रकम	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के अधीन संदत्त/जमा रकम [स्तंभ 5 x क्रम सं. 10]	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के अधीन संदत्त/जमा रकम [स्तंभ 5x क्रम सं. 12]	लाभांश के रूप में संदत्त/जमा रकम [स्तंभ 5x क्रम सं. 14]	संदत्त/जमा अन्य रकम जैसे ब्याज आदि [स्तंभ 5x क्रम सं. 16]
1	2	3	4	5	6	7	8	9

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।

यदि जोखिम पूंजी निधि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो जोखिम पूंजी निधि विलेख की प्रति संलग्न करें।

संपरीक्षित लेखाओं को, जिसके अंतर्गत तुलन पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, यदि कोई हों, भी है, आय की तथा आय के वितरण या आय के जमा के मद्दे [धारा 115प(5) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित] विनियोजन की प्रमाणित प्रतियों के साथ संलग्न करें।

मैं,..(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में) जो..................................का पुत्र/ पुत्री/पत्नी हूं, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करती हूं कि जो कुछ ऊपर और उपाबंध (उपाबंधों) में जिसके अंतर्गत उपाबंधों से संलग्न दस्तावेज भी हैं, कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं । मैं यह और घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं यह विवरण...........................(पदनाम) की हैसियत में दे रहा/रही हूं और मैं यह विवरण देने तथा सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

आज तारीख...........................को सत्यापित किया गया ।

स्थान................................ हस्ताक्षर...............................

सत्यापन

मैंने/हमने...(जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का नाम) द्वारा.................................को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ष में उपार्जित आय और विनिधानकर्ताओं को वितरित/जमा आय [धारा 115प(5) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित] की विशिष्टियां दर्शाने वाली लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच की है ।

2. मैं/ हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक है ।

....

स्थान........................... (लेखापाल के हस्ताक्षर और नाम)

तारीख...............

टिप्पण:

1. "लेखापाल" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के *स्पष्टीकरण* में यथापरिभाषित लेखापाल अभिप्रेत है ।
2. *जो लागू न हो उसे काट दें ।" ।

[अधिसूचना सं. 59/2013/फा. सं. 142/17/2013-टीपीएल]

अमित कटोच, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम संशोधन आय-कर (11वां संशोधन) नियम, 2013 अधिसूचना सं. का.आ. 2331(अ), तारीख 1-8-2013 द्वारा किया गया ।